

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमति शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

बनाम

हवासिंह

प्रहलाद आदि

वा बाबत :- 88 RTA Act

कदमा नम्बर :- 17/2023

नेर्णय दिनांक :- 16.06.2023

वादी की ओर से वकील श्री महावीर सिंह की व प्रतिवादी सं० 1, 2, 3 की ओर से वकील श्री पवन सिहाग की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16.6.2023 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

शेही मौजा मुन्दडिया दौटा के खाता सं० 62/64 के खसरा सं० 148 की 0.4430 है, खसरा सं० 150 की 0.1010 है, खसरा सं० 162 की 8.0170 है, कुल 8.5610 है, वादभूमि प्रतिवादी सं० 1 प्रहलाद के नाम दर्ज है जिसमें प्रतिवादी सं० 1 प्रहलाद का नाम कलमजन कर वादी हवासिंह, प्रतिवादी सं० 2 हरीराम व प्रतिवादी सं० 3 मोहरसिंह के बहिस्सा बरावर के खातेदार कार्रतकार घोषित किए जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी सं० 1, 2, 3 ने हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 तथा 3 के पक्ष में त्याग कर दिया है। राजीनामा को पर्चा डिक्री का भाग पढ़ा जावे।

यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.6.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(Handwritten Signature)

शुभचक्र कलक्टर
(शकुन्तला चौधरी) R.T.A.S.

सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़